उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या : 94/2016/1416/छप्पन-2016-19/2005
लखनऊ : दिनांक : 30 नवम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन अनुभाग के कार्यालय आदेश संख्या-1429(2)/छप्पन-2005- 53/93, दिनांक 18.10.2005 के द्वारा श्री मोती राय को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, उ0प्र0 में वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता के रिक्त पद पर रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक पर अनुरक्षण सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई के अन्तर्गत सामान्य विमानन अनुरक्षण कार्य में योगदान करने हेतु कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष (पॉच वर्ष) की अवधि के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था, जिसके अनुपालन में उनके द्वारा दिनांक 28.10.2005 को निदेशालय में योगदान प्रस्तुत किया गया।

2- उक्त के पश्चात कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1325/छप्पन-2010-19/2005, दिनांक 14.12.2010 द्वारा उनकी संविदा अवधि दिनांक 28.10.2010 से रूपये 1,25,000/- (रूपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक पर 02 वर्ष के लिए बढ़ाई गयी थी, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1418/छप्पन-2012-19/2005, दिनांक 27.02.2013 द्वारा दिनांक 28.10.2012 से अग्रेत्तर एक वर्ष अर्थात दिनांक 27.10.2013 तक उनकी संविदा अवधि पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक पर बढ़ाई गई थी, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1562/छप्पन-2013-19/2005, दिनांक 28.11.2013 द्वारा उनकी संविदा अवधि दिनांक 28.10.2013 से दिनांक 27.10.2014 तक एक वर्ष के लिए रूपये 1,25,000/- के नियत मासिक पारिश्रमिक पर बढ़ायी गयी थी, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1709/छप्पन-2014-19/2005, दिनांक 26.11.2014 द्वारा उनकी संविदा अवधि दिनांक 27.10.2015 तक एक वर्ष के लिए नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 1,50,000/- (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) में बढ़ायी गयी थी। कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1542/छप्पन-2015-19/2005, दिनांक 10.11.2015 द्वारा अन्तिम बार उनकी संविदा अवधि दिनांक 28.10.2015 से 27.10.2016 तक एक वर्ष के लिए रूपये 1,50,000/- (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक पर बढ़ायी गयी थी।

3- अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री मोती राय की संविदा अवधि दिनांक 28.10.2016 से 27.10.2019 तक रूपये 1,57,500/- (रूपये एक लाख सत्तावन हजार पॉच सौ मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक एवं शासनादेश 09.09.2014 द्वारा विहित पारिश्रमिक में अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पर पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- श्री मोती राय को उक्त संविदा अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त

--- 2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी, जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम- 157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश देय होगा।

3- श्री मोती राय से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

श्री मोती राय,
वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता,
अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई,
नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या : 94/2016/1416(1)/छप्पन-2016 तददिनांक ।

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि श्री मोती राय, वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- कार्मिक अनुभाग-1
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in